

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राज किशोर तिवारी,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष
वाणिज्य-कर विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग/जल
संसाधन/सहकारिता विभाग/बिहार राज्य योजना पर्षद/सूचना एवं जन-सम्पर्क
विभाग/राज्य निःशक्तता का कार्यालय, बिहार, पटना/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-25.02./2026

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभिन्न वादों में पारित न्यायादेश के आलोक में
बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान
किये जाने हेतु अपेक्षित सूचना एवं अन्य कागजातके संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना
में कतिपय कर्मियों द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान कराने हेतु कई वाद दायर है, जिसमें से
सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-19650/2024 मीता सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-11.09.2025
को न्यायादेश पारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से
संबंधित पारित न्यायादेश मामलों पर समीक्षा कर कार्रवाई के क्रम में संलग्न सूची के कर्मियों का विहित
प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ, सेवापुस्त की छायाप्रति, गोपनीय अभ्युक्ति एवं आरोप की स्थिति से संबंधित
प्रतिवेदन अपेक्षित है।

अतएव अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित कर्मियों का विहित प्रपत्र में वांछित
सूचनाएँ, सेवापुस्त की छायाप्रति गोपनीय अभ्युक्ति एवं आरोप की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन
दिनांक-27.02.2026 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्न-प्रपत्र (सेवा/आरोप/चरित्री संबंधी विहित प्रपत्र)

एवं कर्मियों की सूची

विश्वासभाजन,



(राज किशोर तिवारी),
सरकार के अवर सचिव

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों / कर्मियों को ACP/MACP प्रदान किये जाने संबंधी सूची:-

क्र०सं०	पदाधिकारी/कर्मि का नाम	अंतिम पदस्थापन विभाग
1	विजय प्रसाद यादव प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना
2	वृजेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना
3	सुनील कुमार वर्मा, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना
4	जर्नादन प्रसाद, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
5	सुधीर कुमार झा, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
6	वेद रंजन शर्मा, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना
7	हर देव प्रसाद, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	पिछड़ा वर्ग एव अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना
8	उषा श्रीवास्तव, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना
9	सुधीर कुमार, प्रधान आप्त सचिव (से०नि०)	वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना
10	शिवेन्द्र कुमार, निजी सहायक (से०नि०)	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना
11	राजेन्द्र चौहान, वरीय प्रधान आप्त सचिव	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
12	शिव कुमार प्रसाद, निजी सहायक (से०नि०)	राज्य निःशक्तता का कार्यालय, बिहार, पटना

**सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना
(ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना) के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जाँच प्रपत्र**

1. विभाग/कार्यालय का नाम.....
2. सरकारी सेवक का नाम.....
3. जन्म तिथि/सेवा निवृत्ति की तिथि.....
4. सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम.....
5. वर्तमान धारित पद पर योगदान की तिथि/वेतनमान/वरीयता.....
तिथि जिससे वेतन प्राप्त किया गया.....
6. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि.....
7. सेवा सम्पुष्ट की तिथि.....
8. संविलयन का लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं, पूर्ण विवरण दें.....
9. यदि कोई प्रोन्नति मिली हो तो विवरण.....
 - क. निजी सहायक.....
 - ख. आप्त सचिव.....
 - ग. प्रधान आप्त सचिव.....
 - घ. वरीय प्रधान आप्त सचिव.....
 - ङ. प्रथम कालबद्ध..... द्वितीय कालबद्ध.....
 - च. उच्चतर पद (जिस पर प्रोन्नति मिली हो).....
 - छ. दिनांक-09.08.1999 से देय प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ.....
 - ज. द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ.....
10. यदि प्रोन्नति रद्द कर दी गयी हो तो उसकी विवरणी
11. **(क) पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन से संबंधित विवरणी:-**
 - (i) बारह (12)/दस (10) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि.....
 - (ii) चौबीस (24)/बीस (20) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि

(ख) प्रस्तावित वित्तीय उन्नयन से संबंधित विवरणी:-

 - (i) बारह (12)/दस (10) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं देय (प्रस्तावित) प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि
 - (ii) चौबीस (24)/बीस (20) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं देय (प्रस्तावित) द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि

(iii) तीस (30) वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं एवं देय (प्रस्तावित) तृतीय वित्तीय उन्नयन की तिथि.....

12. विभागीय आरोप/विभागीय कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही की स्थिति.....
13. यदि कोई अभ्युक्ति हो तो.....
14. प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय उन्नयन संबंधी प्रस्ताव के साथ संबंधित कर्मों की सेवापुस्त (सभी पृष्ठों सहित) की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गई है।

संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर

नियंत्रि पदाधिकारी का हस्ताक्षर
मुहर सहित